राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 464/2013

कृष्ण कुमार और अन्य. --याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य. --प्रतिवादीगण

संबंधित

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13128/2013

कृष्ण कुमार और अन्य --याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य. ---प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री आर.एस. चौधरी।

प्रतिवादीगण के लिए :

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

11/11/2024

1. चूंकि उपरोक्त दोनों रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दा एक ही विज्ञापन से उत्पन्न हुआ है, इसलिए, दोनों याचिकाओं पर इस सामान्य आदेश के तहत एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

2. सुविधा के लिए, तथ्यों को सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 464/2013 से संदर्भित किया जा रहा है।

3. चुनौती के अंतर्गत फायरमैन के पद के लिए दिनांक 08.09.2011 का विज्ञापन तथा उसके बाद दिनांक 30.09.2013 की अनंतिम चयन सूची है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं।

4. संक्षेप में, याचिका में दिए गए तथ्य यह हैं कि प्रतिवादीगण संख्या 3 ने दिनांक 08.09.2011 को फायरमैन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था। इसमें खण्ड 3(ii) में कहा गया है कि राजस्थान नगर सेवा नियमों के

(Downloaded on 28/05/2025 at 09:55:30 AM)

अनुसार नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय शिक्षा या इसके समकक्ष तथा छह महीने का बुनियादी प्राथमिक फायरमैन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। खण्ड 3 के नोट 2 में नियुक्ति के बाद बुनियादी प्राथमिक फायर प्रशिक्षण पूरा करने के लिए छूट प्रदान की गई है। नोट 2 में आगे कहा गया है कि सरकारी संगठन/बोर्ड के साथ अनुभव रखने वाले तथा बुनियादी प्राथमिक फायर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता प्राप्त करने वाले पदधारियों को वरीयता दी जा सकती है।

4.1 छह महीने का कोर्स पूरा करने के बाद, संस्थान के निदेशक द्वारा 03.02.2012 को वास्तविक प्रमाण पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2011 से जून 2012 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, नागपुर में फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा भी पूरा किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ने 04.07.2012 को फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रमाण पत्र जारी किया।

4.2 चयन प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण और व्यावहारिक परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी किए गए। परीक्षण 03.01.2013 से 23.01.2013 तक आयोजित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं को इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उन्होंने 03.01.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 2 से संपर्क किया, एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, और अनुरोध किया कि चयन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर न देने तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार किए बिना अनंतिम मेरिट सूची जारी करने में प्रतिवादियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर ये याचिकाएं दायर की हैं।

5. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह पक्ष लिया गया है कि याचिकाकर्ता अपनी श्रेणियों में संबंधित कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने में विफल रहे। इसलिए, उन्हें फायरमैन के पद पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता अपनी संबंधित श्रेणियों में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करने में विफल रहे, इसलिए उन्हें चयन प्रक्रिया को चुनौती देने या फायरमैन के पद पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा केस फाइल का अवलोकन किया है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 09:55:30 AM)

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का दावा प्रश्नगत पद के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित है, जो दिनांक 08.09.2011 के विज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता इस चयन प्रक्रिया के परिणाम को चुनौती देना चाहते हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि वे चयनित उम्मीदवारों से अधिक योग्य थे।

8. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 19.08.2013 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में भाग लेने की अनंतिम अनुमति दी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनके लिए कोई पद आरक्षित करने के लिए कोई प्रभावी अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

9. इस विलम्बित चरण में, याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन की योग्यता का आकलन करना संभव नहीं है, खासकर तब जब असफल उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं हैं। सुस्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, एक असफल उम्मीदवार पूरी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है, एक बार जब यह अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, तो केवल प्रतियोगिता में सफल न होने के आधार पर। इसलिए, याचिकाकर्ता केवल इसलिए चयन प्रक्रिया को रद्द या बदलने की मांग नहीं कर सकते क्योंकि उनका चयन नहीं किया गया था।

10. चयन अभिलेखों के अभाव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा चयनित अभ्यर्थियों, विशेषकर उन अभ्यर्थियों, जो पिछले लगभग 10 वर्षों से पद पर कार्यरत हैं, की तुलना में अधिक योग्यता रखने के दावे को प्रमाणित करना संभव नहीं है। इसके अलावा, चयनित अभ्यर्थियों में से किसी को भी इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण चूक है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, इसलिए मौजूदा अभ्यर्थियों को हटाना उचित नहीं होगा, खासकर इतनी लंबी सेवा अवधि के बाद। जैसा भी हो, चूंकि प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में याचिकाकर्ताओं की योग्यता या रैंक को सत्यापित करना संभव नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, मैं प्रतिवादियों की स्थिति से सहमत हूँ, जैसा कि उनके उत्तर में उल्लिखित है, जिसका याचिकाकर्ताओं द्वारा खंडन नहीं किया गया है।

(Downloaded on 28/05/2025 at 09:55:30 AM)

12. आधार में, रिट याचिकाओं में योग्यता का अभाव है और अंतिम चयन के बाद से काफी समय बीत जाने के कारण आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

13. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।

14. याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

196-197-जितेन्द्र

क्या प्रकाशन हेतु उपयुक्त - हाँ / नहीं।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(Downloaded on 28/05/2025 at 09:55:30 AM)